

लीलो परिपथ हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि पर स्थित वृक्षों की गणना

जनपद— मीरजापुर में 30प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 132 के.वी. मीरजापुर—जिगना द्वितीय लीलो परिपथ के निर्माण में ग्राम— राजापुर, तहसील—लालगंज के आराजी संख्या 1मि0 में से क्षेत्रफल 0.2322 हे0 आरक्षित वन भूमि पर स्थित वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	वृक्ष प्रजाति	बाटेनिकल नेम	संख्या	व्यास श्रेणी	मूल्य प्रति	मूल्य रू0
1	2	3	4	5	6	7
1	ककोर	ZIZYPHUS XYLOPYRA	164	0-10	23.00	3772.00
2	पलास	BUTEA MONOSPERMA	20	0-10	23.00	460.00
3	लाठी बांस	DENDROCALAMUS STRICTUS NEES 255	255	0-10	1287.00 प्रति सै0	3281.85

184 वृक्ष, 255 बांस

(विजयेन्द्र सिंह)
Executive Engineer
अधिशारी, मीरजापुर
Electricity Transmission Division
D.P. Power Transmission Corporation Ltd.
मिर्जापुर
पथरहिया रोड, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

क्षतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में 30 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, मीरजापुर सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, भारत सरकार एवं माननीय न्यायालयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, मीरजापुर द्वारा पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा।

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

(विजयेंद्र सिंह)
Executive Engineer
Electricity Transmission Division
U.P. Power Transmission Corporation Ltd.
मीरजापुर
पथरहिया रोड, मीरजापुर।

प्रस्तावित पर्यटन विकास से प्रभावित संरक्षित वन भूमि के N.P.V. मूल्य का निर्धारण

जनपद-मीरजापुर में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित 132 के.वी. मिर्जापुर-जिगना द्वितीय लीलो परिपथ के निर्माण से प्रभावित ग्राम-राजापुर, तहसील-लालगंज के आराजी संख्या 1मि० में से क्षेत्रफल 0.2322 हे० आरक्षित वन भूमि का एन०पी०वी० मूल्य भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक F.No. 5-3/2007 FC दिनांक 05.02.2009 द्वारा इको क्लास-(iii) हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन०पी०वी० रू० 8.03 लाख प्रति हे० की दर से रू० 8.03 लाख x 0.2322 हे० = रू० 1,86,457.00 (एक लाख छियासी हजार चार सौ सत्तावन मात्र) का भुगतान प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृती के उपरान्त याचक विभाग द्वारा कैम्पा को देय होगा। एवं यदि एन०पी०वी० की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो उक्त बढ़ी हुई धनराशि को अदा करने हेतु उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड मीरजापुर बाध्य होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की बचनबद्धता

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरांत उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मीरजापुर द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उसमें उल्लिखित गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(Electricity Transmission Division Engineer)
Electricity Transmission Division
अधीन Power Transmission Corporation Ltd.
मीरजापुर
ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पथरहिया रोड, मीरजापुर।

प्रति हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर